१

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रतन सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलियारी जिला टोंक का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमंड, कपासन जिला चित्तौड़ किया गया था जिसके विरूद्ध श्री रतन सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 576/2021 श्री रतन सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 576/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री रतन सिंह को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के अस्थमा रोग से पीड़ित होने एवं अपनी निकट सेवानिवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि कलमण्डा, मालपुरा जिला टोंक/राउमावि आरोली, मालपुरा जिला टोंक अथवा राउमावि कंवरावास जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट शारीरिक दशाओं एवं प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री रतन सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, (राउमावि अलियारी जिला टोंक से राउमावि उमंड, कपासन जिला चित्तौड़) को राउमावि कलमण्डा, मालपुरा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रतन सिंह/576/2021 दिनांकः 03.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/उदयपुर संभाग, अजमेर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक टोंक/चित्तौडगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री रतन सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि अलियारी जिला टोंक से राउमावि उमंड, कपासन जिला चित्तौड़ को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)